भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 301207

2 SEP 2004

L K O T R Y

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	:	रू0 4,05,000/-
मालियत मूल्य	:	रू0 1,84,400/-
स्टाम्प शुल्क	:	रू0 40,500/-
परगना	:	बिजनौर

यह विक्रय विलेख सियाराम व रामस्वरूप पुत्रगण मोहन लाल निवासीगण- ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है,

राजकीय कोषागार, लखनऊ

दिनांक 2 [illegible] 05
मूल्य [illegible] रुपया मात्र
नाम [illegible] इण्डस्ट्रीज लि०
द्वारा [illegible]

[illegible] कोषाधिकारी   पूरा कोषाधिकारी

डी 405001

5000 + 50 = 5050/-

श्री [illegible] पुत्र [illegible]
निवासी [illegible]
[illegible] 14-5-05 [illegible]
[illegible] प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ 14-5-05

[illegible]

[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] पुत्र [illegible] [redacted] [illegible]
स्वरूप पुत्र [illegible] ने निष्पादन [illegible] के लिये [illegible] [illegible]
[illegible] इण्डस्ट्रीज लि- [illegible]
[illegible] श्री [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

03CC 301209

L K O T R Y

2 SEP 2004

एम्स् अन्सल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रजिस्टर्ड आफीस–1101 टाल्सटॉय हाउस, टाल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी, श्री के०के०सिंह, उपमहाप्रबन्धक, पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह वर्तमान एवं स्थायी पता–तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा नं0 103 रकबा 0.216 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ अहिमामऊ, परगना

आदर्श कोषागार, लखनऊ

5-7-04

दिनांक

मूल्य ... रुपये

नाम

द्वारा

... कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी

शपथ : ... त्रिपाठी ...

अनु. ... 1306 ...

[illegible]

भारत

५००रु R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

–बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ, के मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते है, कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रहन, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि मे किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आपस उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 4,05,000/-(चार लाख, पॉच हजार रूपया) के प्रतिफल मे जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे मे सम्पत्ति के रूप मे धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे।

Arad Properties

और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर अर्द्ध परिधागत अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए सर्किल रेट रू0 9,00,000/-प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुल विक्रीत भूमि 0.216 हेक्टेयर की मालियत रू0 1,94,400/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 40,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण <u>विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा न० 103 रकबा 0.216 हेक्टेअर, स्थित ग्राम युसुफ नगर उर्फ बनियामऊ, परगना –बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न० 103 रकबा 0.216 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–105
पश्चिम	: ग्राम अहमामऊ सीमा
उत्तर	: खसरा संख्या–104
दक्षिण	: खसरा संख्या–102

परिशिष्ट : भुगतान विवरण।

रु० 4,05,000/- (रुपये चार लाख पाँच हजार मात्र) द्वारा बैंक आर्डर संख्या- 541704 व 541705 दिनांकित 02.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ, विक्रेतागण को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 09.09.2004

विक्रेतागण

गवाह:

1.

2.

क्रेता

टाइपकर्ता

(राम सनेही)

मसौदाकर्ता

(विक्रम शर्मा सिंह)

एडवोकेट

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रू0 4,05,000/- (रूपये चार लाख पाँच हजार मात्र) द्वारा बैंक आर्डर संख्या– 541704 व 541705 दिनांकित 02.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज; लखनऊ, विक्रेतागण को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 09.09.2004

गवाह:-

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

मसविदाकर्ता

(वैंकट रमा सिंह)

एडवोकेट

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

[illegible]

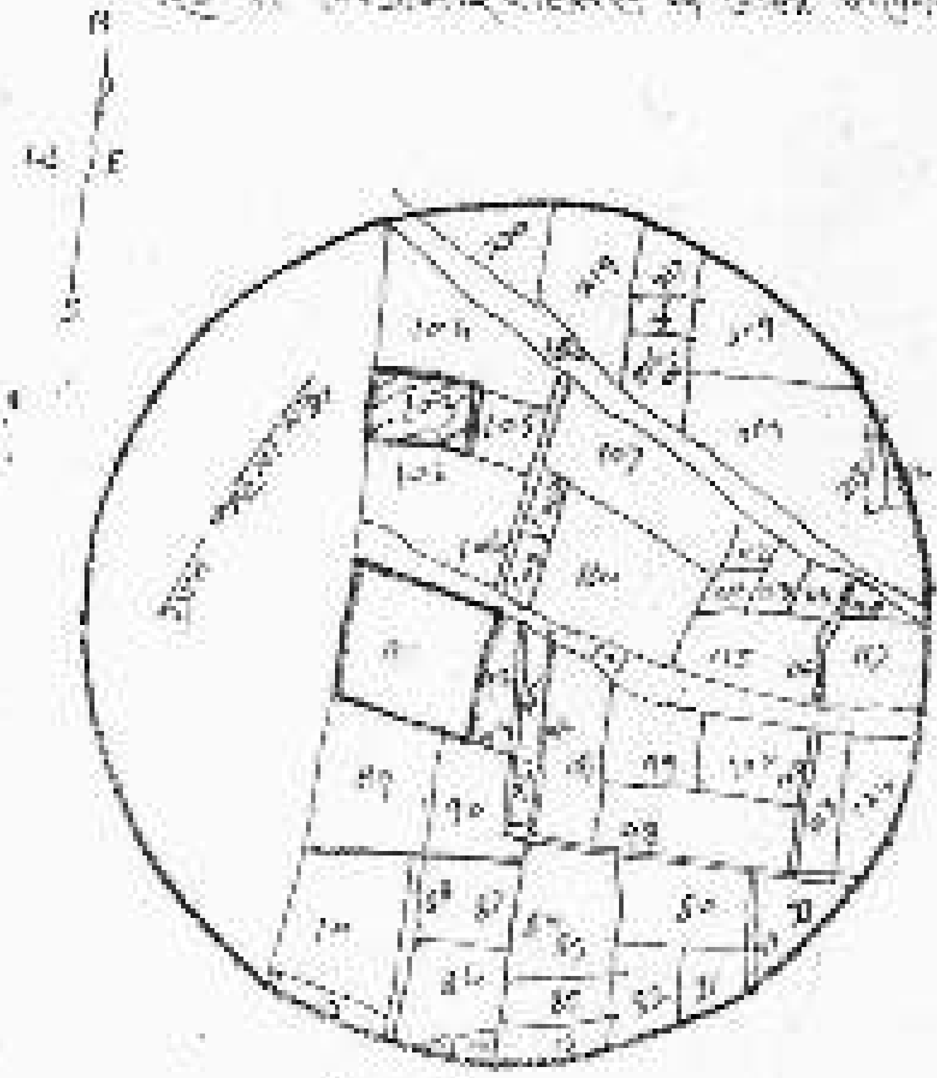

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगरप्रिंट विवरण

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :- [illegible]

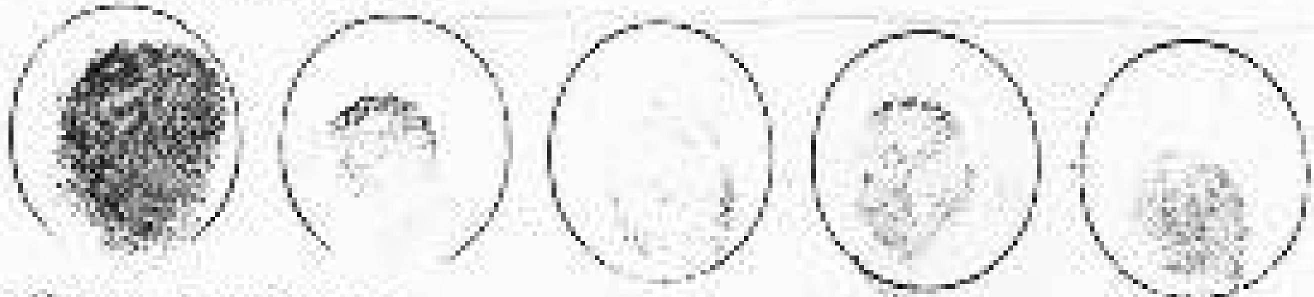

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

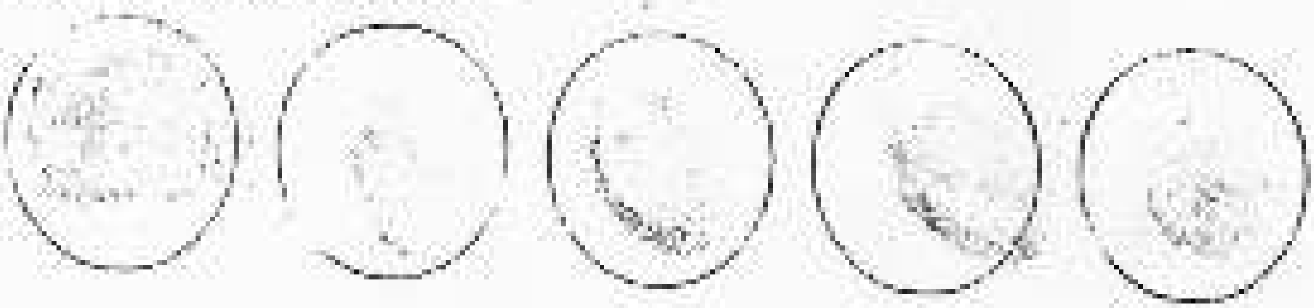

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / अन्य नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

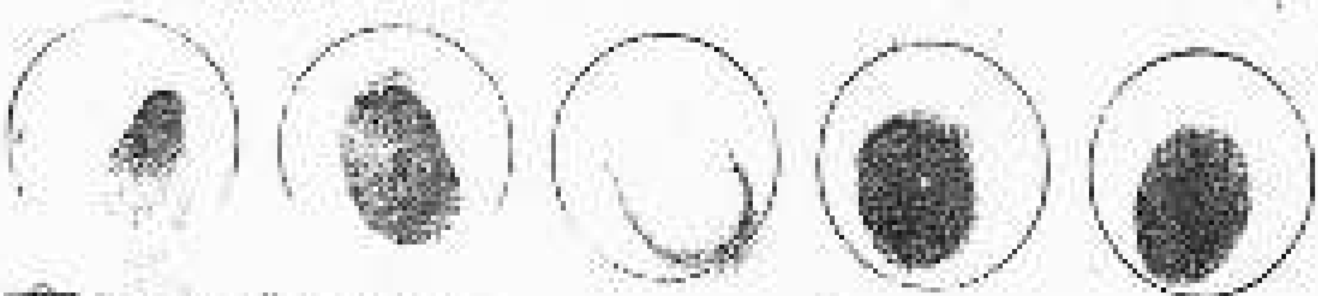

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा–32 ए के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट

विक्रेता / क्रेता नाम व पता

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता / क्रेता / हस्ता०

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :–

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible] 14/9/64 [illegible]

[illegible]